

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक
III/निगरानी/सीधी/भ्र.रा/2018/0289

12018 निगरानी

रामनिवास पुत्र राम जियावन, निवासी ग्राम मर्गाम
तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी-मध्य प्रदेश।

----- प्रार्थी

दिनांक 9-1-18 को
से राम को भ्रियत
कारण को प्रस्तुत।

9-1-18

दि. 7-2-18

21/9/18

बिराध

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| १- हीरामणि | पुत्रगण निवासी फेल | |
| २- राजमणि | | |
| ३- राजाराम | | |
| ४- सुरेन्द्र | | |
| ५- राजवहादुर | | पुत्रगण गिरधारी फेल |
| ६- नागेंद्र | | |
| ७- रवी | | |
| ८- ध्रुव | | |
| ९- बलकृष्ण फेल पुत्र चन्द्रशेखर फेल, | | |
| समस्त निवासीगणम मर्गाम तहसील रामपुर | | |
| नैकिन, जिला सीधी-मध्य प्रदेश। | | |

----- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी बिराध आवेश एस०डी०वा० महादय (राजस्व) रामपुर नैकिन
जिला सीधी-मध्य प्रदेश दिनांक २७-१२-१७, अन्तर्गत धारा १० मध्य प्रदेश
मू-राजस्व संहिता, १९५६। प्र०क्र० ७४।१५-१६-अपील।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन-पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, एस०डी०वा० महादय की आज्ञा कानून सही नहीं है।
- २- यह कि, एस०डी०वा० महादय के प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है।


54

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक D/R/सीधी/अनुवृत्ति/18/289,

शमनिवास / बी.श.म.०।

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
8/1/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>रम. के. डी. वास्तव</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी <u>शामपुर नरिन्</u> के प्रकरण क्रमांक <u>274/15-16/अपील</u> में पारित आदेश दिनांक <u>27/12/17</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>सीधी</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>23/4/19</u> को कलेक्टर जिला <u>सीधी</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

